JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिला पुलिस : एक संघर्षपूर्ण जीवन

मीनाक्षी सिंह
महिला अध्ययन संस्थान
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
Minakshi21singh@gmail.com

सारांश: वक्त के साथ–साथ समाज में महिलाओं की भूमिका भी बदल रही है। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विश्वभर में अनेक नारीवादी आन्दोलन हुए और वर्तमान समय में भी संघर्ष जारी है। इन आन्दोलनों का ही असर है कि महिलाएं पुरूष वर्चस्व वाले क्षेत्र पुलिस फोर्स में भी अपनी जगह बना रही हैं। एक ओर जहां समाज ये सोच रखता है कि महिलाओं को शिक्षिका, बैंक कर्मचारी जैसे कार्य शोभा देते है वहीं दूसरी तरफ पुलिस की वर्दी पहने एक महिला उनके इन विचारों को चुनौती देते हुए दिखाई देती है। किन्तु वर्दी पाने के बाद महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं ये जांच का विषय है। ये वैसा ही है जैसे पुरूषों से भरे क्षेत्र में चंद महिलाओं का प्रवेश करना और फिर अपनी जगह की स्वीकृति हेतु में जद्धोजहद। महिलाएं निरंतर संघर्ष कर रही है फिर चाहे समाज हो या किसी का अपना परिवार हो या उनका विभाग। महिला पुलिस स्वयं अपने विभाग में भेदभाव का शिकार हैं। महिला पुलिस भर्ती के पीछे ये धारणा थी कि महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित अपराधों में महिलाएं ज्यादा कारगर सिद्ध होंगी। इसमें कोई शंका नही कि महिलाएं कारगर हैं लेकिन महिलाएं स्वयं अपने विभाग में भेदभाव झेल रही है सुविधाओं का अभाव झेल रही हैं ऐसे में वो कितनी सहायक होगीं ये भी एक बड़ा महत्तवपूर्ण प्रश्न है। एक महिला कांस्टेबल, महिला एस. आई. को वो सम्मान नही मिलता जो वही पद धारण किये पुरूषों को मिलता है। समाज के लिए वर्दी पहन कर पुरूष पुलिस है साहब है किन्तु वर्दी पहनी हुई महिला एक महिला ही है। पुरूष अधिकारी से आदेश लेते वक्त पुरूष सहकर्मियों को उतना खराब नहीं लगता जितना एक महिला अधिकारी से आदेश सुनते हुए लगता है। आवश्यकता है कि पुरूष पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों को समय–समय पर जेंडर संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण दिया जाए और उनके प्रदर्शन के आधार पर उनका पद उनकी प्रोन्नति निर्धारित की जाये।इस प्रशिक्षण को प्राथमिकता सबसे ऊपर रखा जाए एवं हर स्तर के प्रशिक्षण केन्द्र में अनिवार्य बनाया जाये। जब तक महिलाओं के प्रति मानसिकता नहीं बदलेगी महिलाओं का जीवन संघर्षरत बना रहेगा।

मूलशब्द:– पुलिस में महिलाएं, लैंगिक भेदभाव, शोषण

प्रस्तावना:– भारतीय इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल में महिलाएं सैनिक प्रशिक्षण लेती थी एवं युद्ध क्षेत्र में अपनी युद्ध कौशल का प्रर्दशन भी करती थी। ऋग्वेद में इंद्रसेना नाम की एक रथी महिला का उल्लेख मिलता है, जिसने बैल जुते रथ पर बैठकर शत्रुओं को हराया था। नमुचि द्वारा स्त्री–सेना का निर्माण कर इंद्र से टक्कर लेना और देवासुर–संग्राम में इन्द्र की पत्नी शची का युद्ध क्षेत्र में

भाग लेना उस समय की स्त्रियों के रण कौशल और वीरता के अच्छे उदाहरण हैं। प्राचीन भारत में हरमों की सुरक्षा का कार्य सशस्त्र महिलाएं किया करती थी (शर्मा 1977, बाशम–1965)। बाशम और शर्मा ने मौर्य संज्ञाओं का भी उल्लेख किया है जिनकी सुरक्षा का कार्य तलवार और तीर–कमान के संचालन में प्रशिक्षित वीरांगनाओं द्वारा किया जाता था। नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज में भी लक्ष्मी ब्रिगेड नाम से स्त्री –सैनिकों की एक प्रशिक्षित टुकड़ी गठित की गई थी।

कानपुर में, सन् 1938 में महिला श्रमिक हड़ताल विरोधी मजदूरों को रोकने के लिए फैक्ट्री के प्रवेश द्वार पर बैठ गई थी जिन्हें हटाने में पुरूष पुलिस कर्मियों को संवेदनशील स्थिति का सामना करना पड़ा था ऐसी किसी विपरीत स्थिति से भविष्य में निपटने के लिए भारत में सन् 1938 में पहली बार कानपुर में महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई थी (राव 1975, घोष– 1981, महाजन–1982)। लेकिन जैसे ही हड़ताल समाप्त हुई महिला पुलिस दल का विघटन कर दिया गया (अरूण 1990)।

सन् 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा एक प्रमुख समस्या बन गई। अपहरण और यौन अपराधों में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुयी। बेसहारा महिलाओं लड़कियों और बच्चों की सुरक्षा एवं जिन जवान लड़कियों का अपहरण कर लिया गया था अथवा जिनके साथ बलात्कार किये गये थे जिन्हें बेच दिया गया था उन्हें बरामद करने के लिए महिला पुलिस की आवश्यकता महसूस की गई। प्रत्युत्तर मे, शुरूआती तौर पर 2 महिला सहायक उपनिरीक्षक और एक महिला उपनिरीक्षक की 1948 में नियुक्ति की गई। सरकार ने उस समय पंजाब में पुरूष पुलिस कर्मियों की स्वीकृत संख्या के एवज में 7 महिला उपनिरीक्षकों 7 महिला सहायक उप–निरीक्षकों और 35 महिला कांस्टेबलों की भर्ती को मंजूरी प्रदान किया था। इस प्रकार स्वतंत्रता के समय दिल्ली और पंजाब ऐसे अग्रणी राज्य थे जहां नियमित आधार पर महिलाओं की नियुक्ति पुलिस बल में की गई थी (महासन्–1982)। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि महिला पुलिस कोई नई अवधारणा नहीं है यह विगत कई वर्षों से चली आ रही एक व्यवस्था है।

आज इस बात की आवश्यकता है कि इसका अध्ययन किया जाए कि क्यों आज भी महिला पुलिस उतनी सफल उतनी लोकप्रिय नही हैं जितना उसको होना चाहिए था। क्या कारण है जो आज भी पुलिस बल महिलाओं की भर्ती करने में पीछे है और जितनी महिलाएं पुलिस में है उनकी क्या स्थिति है वो कितनी सशक्त हैं और सबसे महत्तवपूर्ण सवाल पुलिस कार्य क्षेत्र में वो स्वंय किस प्रकार के भेदभाव की समस्याओं से जूझ रही हैं।

महिला पुलिस

महिलाओं को पुलिस बल में शामिल करने का मूल उद्देश्य महिलाओं, लड़किओं एवं बाल अपराधों से सम्बन्धित मामलों में उनका सहयोग प्राप्त करना था। बलात्कार के मामले, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, अपराधी महिलाओं की अनुरक्षा और पूछताछ आदि का निष्पादन महिला पुलिस कर्मी द्वारा किया जाता है परंतु वो स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहीं हैं। विगत कुछ वर्षों में पुलिस बल में महिला सहकर्मियों के साथ भेदभाव शोषण के मामले सामने आये है। पुरूष वर्चस्व वाले इस क्षेत्र ने आज भी महिलाओं को स्वीकृति प्रदान की नही है। पितृसत्तात्मक सोच आज भी महिलाओं को अपने बराबर खड़ा नहीं देखता। पितृसत्तात्मक समाज की यह सोच है कि महिलाएं पुलिस सेवा में नियुक्त होने योग्य नहीं है। पुरूष सहकर्मियों का भेदभावपूर्ण रवैया महिलाओं को हतोत्साहित करता है। महिलाओं को कदम दर कदम यह साबित करना पड़ता है कि वो पुरूष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकतीं है। महिला पुलिसकर्मी

पुलिसबल और समाज में अपनी स्वाकृति के लिये निरंतर संघर्ष कर रही हैं। भारत में महिलाओं को पुलिस की मुख्यधारा में लाने का प्रयास नीतिगत स्तर पर अभी भी अनुपस्थित है। महिलाओं की तैनाती के निर्णय लैंगिक रूढ़िवादिता से मुक्त नही हैं जो महिलाओ को अग्रणी भूमिका निभाने से रोकते हैं। महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है फिर चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, भावनात्मक स्तर पर हो या पारिवारिक स्तर पर। महिला पुलिस की स्थिति पर मैत्रेयी पुष्पा ने मधुवन हरियाणा पुलिस अकादमी में प्रशिक्षणरत् लड़कियों से बातचीत के आधार पर एक पुस्तक लिखी "फाइटर की डायरी"। इस पुस्तक में उन्होंने सभी महिला पुलिस कर्मियों के अनुभवों को साझा किया है। यह पुस्तक पुलिस फोर्स में महिलाओं के साथ होने वाले बुरे व्यवहारों पर खुलकर चर्चा करता है कि किस प्रकार बड़े अधिकारी से लेकर छोटे पद पर आसीन पुरूष कर्मी भी महिलाओं का उत्पीड़न करने में पीछे नही रहते है। महिलाओं के शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न के कुछ ही मामले सामने आ पाते हैं और उन्हें भी दबा दिया जाता है। छोटे पद पर नियुक्ति महिला पुलिस कर्मियों को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके पास बैठने के लिए न तो उचित स्थान होता है न शौचालय जहां वो अपनी प्राकृतिक समस्याओं का समाधान कर सकें। पुलिस स्टेशनों कार्यालयों का निर्माण पुरूषवादी है। महिला अधिकारियों को उनके कार्यालय में उनके कक्ष से लगा शौचालय उपलब्ध होता है किन्तु महिला सिपाहियों के लिये ये एक बड़ी समस्या है। पुरूषों के साथ बैठना उनके द्विअर्थीय मजाकों अनर्गल बातों व व्यवहारों को बर्दाश्त करना पड़ता है। यदि महिला पुलिस की नौकरी में आयी है तो इसका मतलब वो आसानी से उपलब्ध है तभी तो उसने पुरूषों के क्षेत्र को चुना ये संकीर्ण मानसिकता महिलाओं की स्थिति को और खराब करती है। बिना मतलब छुना रात में किसी भी वक्त बे वजह फोन करना, साथ घूमने का प्रस्ताव देना ये सब आम बाते है। जिसे महिला पुलिसकर्मी बर्दाश्त करती है। चार पुरूषों के बीच अकेली महिला जाये भी तो कहां जाये। कुछ बोलने का मतलब नौकरी पर खतरा, कर्तव्य निर्वहन में असहयोग कैरेक्टर रोल बुक पर लाल स्याही बिना वजह पद ट्रान्सफर आदि प्रताड़ना झेलना पड़ता है। पुरूष सहगामी अपनी महिला सहकर्मियों के प्रति पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है वो पूर्वाग्रह जिनका ये मानना है कि महिलाएं घरों मे घर गृहस्थी का कार्य करते हुए ही अच्छी लगती है घर के बाहर नही। पुरूषों के मध्य अच्छी औरत नहीं जाती। महिलाएं कमजोर होती है। पुलिस का काम उनके बस में नही महिला कांस्टेबल को ज्यादातर ऐसे काम दिये जाते है जहां शारीरिक बल का उपयोग नही होता। जैसे कि रजिस्टर मेन्टेन करना, जन–सुनवाई के मामले देखना और एफ आई आर दर्ज करना आदि। ऐसा इसलिये क्यूं कि उनके मेल काउन्टरपार्ट्स का यह मानना है कि महिला स्वयं की रक्षा नीहं कर सकती और यदि उन्हें फील्ड जैसे कि इन्वेस्टीगेशन, पेट्रोलिंग, लॉ एण्ड ऑर्डर, वी आई पी प्रोटेक्शन आदि पर भेजा गया तो सुरक्षा के लिये साथ में पुरूष पुलिसकर्मी की जरूरत पड़ेगी।

पुरूष सहकर्मियों की सोच उस डर को दर्शाती है जिसे वीभत्स कहा जाता है और वो डर है महिला कर्मियों के साथ कार्य क्षेत्र में हिंसा व बलात्कार का डर। एक ऐसा डर जो हमेशा महिलाओं को पीछे ढकेल देता है। क्यूं कि उनका मानना है कि हैं तो आखिर महिला ही कहीं अगर इनके साथ कोई अप्रिय घटना हो गई तो विभाग पर बात आ जायेगी इसीलिये महिलाओं को फील्ड पर भेजने से बचने की कोशिश की जाती है यदि भेजना मजबूरी हो जाये तो एक पुरूष सहकर्मी जरूर साथ जाता है। उनकी सुरक्षा भी एक जिम्मेदारी हो जाती है क्यूंकि क्षेत्र में कब कहां क्या हो जाये इसके बारे में अनिश्चितता बनी रहती है।

महिला पुलिसकर्मियों को और सशक्त मजबूत बनाने को जरूरत है। पुरूष और महिला दोनों में जैविक भिन्नता होती है और उस भिन्नता को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिस कर्मियों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाये

जिससे कि अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। परिस्थितयां चाहे कैसी भी हो उन्हे परिस्थिति से निपटने के गुण सिखाने होंगे।

भारत सरकार ने 2009 में पुलिस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 33% तक करने का टारगेट सेट किया था, ताकि पुलिस में महिलाओं की भागेदारी को बढ़ाया जा सके और पुलिस थानों को जेंडर संसटिव बनाया जा सके। जिससे पुलिस की छवि बेहतर हो, महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों पर बेहतर तरीके से लगाम लगाई जा सके।

इसके बाद 2013 में भारत के गृहमंत्रालय ने हर पुलिस थाने में कम से कम तीन महिला सब इन्स्पेक्टरों और दस महिला पुलिस कान्स्टेबलों की नियुक्ति करने की सिफारिश की ताकि महिला हेल्प डेस्क हर वक्त चालू रह सके। यह सिफारिश धरातल पर कितनी क्रियान्वित हुई है इसकी जांच अभी बाकी है।

निष्कर्ष– भारत का पितृसत्तामक समाज नारी को पुलिस जैसे कार्य क्षेत्र में अभी भी पूर्णतया स्वीकार नहीं कर पाया है। महिलाओ को तरह–तरह की शारीरिक, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं पुलिस बल में भर्ती तो हो गई है परन्तु वहां भी उन्हें खुद की जगह बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। उनके पुरूष सहकर्मियों की पितृसत्तात्मक मानसिकता लैंगिक भेदभाव और पुरूषोचित कार्यस्थल महिला पुलिस कर्मियों के बेहतर कार्य प्रदर्शन की क्षमता को खत्म कर रहा है। महिलाओं की कुछ प्राकृतिक समस्याएं होती है इस समस्या के निस्तारण हेतु भी कोई प्रबन्ध नही किया गया है। ऐसी स्थितियां महिलाओं को शर्मिंदगी का अहसास कराती हैं। पुलिस बल मे महिलाओं की भर्ती एवं महिलाओं के अनुसार कार्यस्थल का निर्माण महिलाओं के लिये आवश्यकतानुसार सुविधाओं का प्रबन्ध पुरूष बल का समय–समय पर जेंडर सेसटाइजेशन सम्बन्धित प्रशिक्षण आवश्यक है। पुलिस बल में महिलाओं की मजबूत भागेदारी और महिलाओं की बेहतर कार्यशैली के उपयोग हेतु सुझाव निम्न प्रकार से है–

1. प्रशासनिक सेवा के पाठ्यक्रम मे जेंडर से संसीटाइजेशन भी एक विषय के रूप में अनिवार्य किया जाये।
2. प्रशिक्षण के दौरान महिला और पुरूष दोनो के लिए लिंग संवेदनशीलता आधारित कक्षा व प्रोजेक्ट कार्य करवाये जायें।
3. महिला पुलिस को शारीरिक और मानसिक स्तर पर मजबूत बनाने के लिये जूडाे, मार्शल आर्ट, कराटे, आदि का प्रशिक्षण दिया जाये।
4. महिला अधिकारियों को उनकी महिला मातहतों के प्रति संवेदनशील बनाया जाये।
5. महिला कांस्टेबलों के व्यक्तित्व विकास हेतु महिला मनोचिकित्सक द्वारा काउंसलिंग करवायी जाये।
6. पुलिस स्टेशनों में महिला पुलिस कर्मियों के लिए अलग से शौचालयों बैरकों का निर्माण किया जाये।
7. पुलिस स्टेशनों में महवारी में उपयोग होने वाले नैपकीन्स का प्रबन्ध हो जिसे किसी महिला आरक्षी के प्रबन्धन में रखा जाये एवं नैपकिन्स को डिस्पोज करने के लिए इंसीनरेटर भी उपलब्ध करवाया जाये। शौचालयों में साफ पानी की उचित व्यवस्था हो।
8. विभागों और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण)अधिनियम 2013 एवं विशाखा गाइड लाइन्स को सख्ती से लागू किया जाये।
9. महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपनी समस्याओं पर खुलकर बात करें।

10. महिला कान्स्टेबलों के लिये ऐसी व्यवस्था की जाये कि वो यदि अपनी पहचान को सामने न लाना चाहे तो अज्ञात रूप से अपनी शिकायतों अपनी समस्याओं को बता सके और उन शिकायतों के निवारण हेतु एक योग्य समिति की स्थापना की जाये।

संदर्भ–

–विश्नोई डॉ. ओमराज सिंह 2004:पुलिस, अपराध तथा दलित, अरावली बुक्स इण्टरनेशनल प्रा. लि., नई दिल्ली।

–विश्नोई, डॉ0 ओमराज सिंह,1999 शहरी परिप्रेक्ष्य में महिला पुलिस, संस्कृति नई दिल्ली।

–विश्नोई, डॉ. ओमराज सिंह, 2001: सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलायें, अरावली बुक्स इण्टरनेशनल प्रा. लि., नई दिल्ली।

–घोष, एस.के.,1981: वीमेन इन पुलिसिंग लाइट एण्ड लाइट पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

–महाजन ए.,1982 : भारतीय महिला पुलिस।

–पुष्पा, मैत्रेयी : फाइटर की डायरी, नवम्बर 2008, अर्पित प्रिंटोग्राफर्स, नई दिल्ली।